



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 भाद्र 1947 (श10)
(सं० पटना 1469) पटना, बृहस्पतिवार, 4 सितम्बर 2025

3ए-3-भत्ता-03/2025/9539-वि०
वित्त विभाग

संकल्प
4 सितम्बर 2025

विषय:- आतंकवाद निरोधक दस्ता में कार्यरत एवं प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों तथा पुलिस कर्मियों को मूल वेतन का 30% प्रतिमाह जोखिम भत्ता (अधिकतम रु० 25,000/-, जिसपर महंगाई भत्ता देय नहीं होगा) की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार राज्य में आतंकवादी घटनाओं को नियंत्रित करने हेतु आतंकवाद निरोधक दस्ता का गठन गृह (आरक्षी) विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या-5723, दिनांक-30.07.2013 द्वारा किया गया है। आतंकवाद निरोधक दस्ता में कार्यरत एवं प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों तथा पुलिस कर्मियों को उनके कार्य की प्रकृति एवं उसमें निहित जोखिम को दृष्टिगत रखते हुए तत्समय प्रवृत्त षष्ठम् वेतनमान के आधार पर मूलवेतन का 30% की दर से जोखिम भत्ता अनुमान्य किया गया था। किन्तु सप्तम् पुनरीक्षित वेतनसंरचना में आतंकवाद निरोधक दस्ता में कार्यरत एवं प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों हेतु जोखिम भत्ता का पुनरीक्षण नहीं किया जा सका है।

2. जोखिम/प्रोत्साहन/विशेष भत्ता के पुनरीक्षण हेतु गठित "वित्त विभागीय समिति" द्वारा आतंकवाद निरोधक दस्ता में कार्यरत एवं प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों तथा पुलिसकर्मियों के कार्य की प्रकृति एवं इसमें निहित जोखिम तथा वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप बढ़े हुए वेतन को ध्यान में रखते हुए विशेष/प्रोत्साहन भत्ता मूल वेतन का 30% अधिकतम रु० 25,000/- प्रतिमाह अनुमान्य किए जाने की अनुशंसा की गई है। तदालोक में आतंकवाद निरोधक दस्ता में कार्यरत एवं प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों तथा पुलिस कर्मियों हेतु सप्तम् पुनरीक्षित वेतन संरचना में जोखिम भत्ता की स्वीकृति का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

3. अतः सम्यक् विचारोपरान्त आतंकवाद निरोधक दस्ता में कार्यरत एवं प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों तथा पुलिस कर्मियों को मूल वेतन का 30% प्रतिमाह जोखिम भत्ता (अधिकतम रु० 25,000/, जिसपर महंगाई भत्ता देय नहीं होगा) की स्वीकृति दी जाती।

4. उक्त पुनरीक्षित दर से जोखिम भत्ता संकल्प निर्गत की तिथि से अनुमान्य होगा।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल,
सचिव (व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1469-571+10-डी0टी0पी0
Website : <https://egazette.bihar.gov.in>